

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा  
पीठासीन अधिकारी: श्री वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 65/2024 (अपील)

जी.सी.एम.एस. नं. - 2024/168

उनवान

राजेन्द्र पुत्र जयराम जाति माली निवासी सलोनिया तहसील कनवास

(अपीलान्ट )

बनाम

राज्य सरकार जयें तहसीलदार कनवास, जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :- 1. श्री महेश तिवारी (अभिभाषक अपीलान्ट)  
2- सरकार पैरोकार

अपील विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार कनवास आदेश

दिनांक 22.08.2024 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम



निर्णय

दिनांक:- 19/12/2025

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कनवास द्वारा अपीलान्ट को बिना सूचना दिये, बिना सुनवाई का मौका दिये पाकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए ग्राम सलोनिया तहसील कनवास, जिला कोटा के खसरा नम्बर 353 रकबा 0.35 है0 किस्म गै0मु0 खाल पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए तथा अपीलान्ट को भूमि से बेदखल करने तथा भू0राजस्व की 50 गुना शास्ती 175 रुपये अधिरोपित की जाकर एक माह 30 दिवस की सिविल कारावास से दण्डित किये जाने का आदेश दिनांक 22.08.2024 पारित करने में भूल की है। उक्त निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को पुलिस थाना कनवास द्वारा दिनांक 25.11.2024 को गिरफ्तारी वारन्ट जारी होना बताकर गिरफ्तार किये जाने पर हुई तब अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत करवाई व उक्त निर्णय के विरुद्ध एक माह की मोहलत लेकर अवधि मध्य उचित न्यायशुल्क पर यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अपीलान्ट को जारी सम्मन की पालना में उपस्थित होकर जुर्माना राशि 400/-रु0 जमा करानी थी किसी प्रकार की सिविल कारावास की सजा नहीं दी गई थी अगर सजा दी जाती तो अपीलान्ट उसी वक्त अधीनस्थ न्यायालय में उक्त निर्णय की पालना में अपील पेश करने के लिए

अति. जिला कलेक्टर  
कोटा

मोहलत ले लेता। अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारन्ट जारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।


अपीलान्ट द्वारा उपरोक्त आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण नहीं और ना ही पूर्व में उसे बेदखल किया गया है और ना ही पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य है कि जिससे अपीलान्ट द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया जाना साबित हो इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील पारित करने में त्रुटि की है। वादस्तुत आराजी खाते की मानकर अपने पूर्वजो के समय से काबिज चला आ रहा है अगर मौके पर जाकर अपीलान्ट को सरकारी भूमि पर हलका पटवारी द्वारा काबिज होना बता दिया जावे तो कब्जा छोड़ने पर तत्पर है। सरकारी भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.08.2024 निरस्त फरमाया जावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमो में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा उपरोक्त आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण नहीं और ना ही पूर्व में उसे बेदखल किया गया है और ना ही पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य है कि जिससे अपीलान्ट द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया जाना साबित हो इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील पारित करने में त्रुटि की है। वादस्तुत आराजी खाते की मानकर अपने पूर्वजो के समय से काबिज चला आ रहा है अगर मौके पर जाकर अपीलान्ट को सरकारी भूमि पर हलका पटवारी द्वारा काबिज होना बता दिया जावे तो कब्जा छोड़ने पर तत्पर है। सरकारी भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.08.2024 निरस्त फरमाया जावें।

पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में अपीलान्ट को पश्चावती अतिक्रमी मानते हुए ग्राम सलोनिया तहसील कनवास, जिला कोटा के खसरा नम्बर 353 रकबा 0.35 है० किस्म गै०मु० खाल पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए तथा अपीलान्ट को भूमि से बेदखल करने तथा भू०राजस्व की 50 गुना शास्ती 175 रूपये अधिरोपित की जाकर एक माह 30 दिवस की सिविल कारावास से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्ट के पश्चातवर्ती अतिक्रमण से संबधित कोई साक्ष्य/ दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रतीत हो कि अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया गया हो। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में यह भी कथन किया है कि अगर मौके पर जाकर अपीलान्ट को सरकारी भूमि पर हलका पटवारी द्वारा काबिज होना बता दिया जावे तो कब्जा छोड़ने पर तत्पर है। सरकारी भूमि पर

  
अति. जिला कलक्टर  
कोटा



अपीलान्ट का कब्जा नहीं है तथा अपीलान्ट को पर्याप्त सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर भी नहीं दिया गया है।

न्यायालय यह मानता है कि अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय पारित करते समय उक्त सभी तथ्यों का ध्यान रखते हुए अपीलाट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार कनवास का निर्णय दिनांक 22.08.2024 अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रस्तुत का पर्याप्त अवसर दिया जाकर पुनः विधि सम्मत् निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 19/12/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा



( वीरेन्द्र सिंह यादव )  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
जहानाबाद